



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-३/ई-१/२०२४
दिनांक : १०.०४.२०२४

सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा-२०२४

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: १०.०४.२०२४

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit)

किये जाने की अन्तिम तिथि: १०.०५.२०२४

ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अंतिम तिथि: १६.०५.२०२४

महत्वपूर्ण

- (i) (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ii) ओ०टीआर० नम्बर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ०टीआर० नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के ७२ घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओ०टीआर० नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iv) ओ०टीआर० नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिवार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं सापेट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(5) अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

(6) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समर्त प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:

1. आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "[View Advertisement](#)" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार रस्तों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण – 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त '[Have You Completed your O.T.R. Registration?](#)' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात '[Click here to Authenticate](#)' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर विलक्षण करना होगा जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर विलक्षण करने के पश्चात 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के

तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर विलक्षण करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

चतुर्थ चरण- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

(I) अनारक्षित/आर्थिक रूप परीक्षा शुल्क रु 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया

से कमजोर वर्ग/ शुल्क रु 25/- योग = रु 125/-

अन्य पिछड़ा वर्ग -

(ii) अनुसूचित जाति/ शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया

अनुसूचित जन जाति शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-

(iii) दिव्यांगजन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया

शुल्क रु 25/- योग = रु 25/-

(iv) भूतपूर्व सैनिक शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

के आंत्रित/महिला/

कुशल खिलाड़ी

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिवार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

10	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (पौध संरक्षण शाखा)	98	17	14	39	26	02
11	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (रसायन शाखा)	20	07	02	—	09	02
12	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (विकास शाखा)	21	11	—	06	04	—
	योग	268	93	26	77	67	05

वेतनमान— रु. 9300—34800/- ग्रेड पे रु. 4600/- (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल -7 पे मैट्रिक्स रु. 44900—142400 से रु. 15600—39100/- ग्रेड पे रु. 5400 (पुनरीक्षित वेतनमान रु. 56100—177500 पे मैट्रिक्स लेवल-10) तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित है।

6. आरक्षण: उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिह्नित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिह्नित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 /2022 /18 /1 /2008 /47 /का-2/ 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिसंर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति किया जा सकता है बर्ताव की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।

शासनादेश संख्या-3/2021 /324/2021 /65-3-2021-78/99टी.सी., दिनांक 30 जुलाई,
2021 के अनुसार दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का पदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं0	पदनाम	दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियाँ
1	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2, ग्रेड-1	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0 एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
2	प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
3	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख', श्रेणी-2 (विकास शाखा एवं कृषि रक्षा शाखा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
4	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 'ए' (विकास एवं पौध संरक्षण शाखा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
5	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी-2 (वनस्पति शाखा, रसायन शाखा, शस्य शाखा)	दिव्यांगता की उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।
6	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 'ए' (वनस्पति शाखा, रसायन शाखा, शस्य शाखा)	दिव्यांगता की उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य हैं' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (न्स्ट। टर्म) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(4) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(5) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंतिमों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(8) महिला अभ्यर्थियों का मामले में पिता पक्ष से निर्णय जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समर्थ वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. आपात कमीशन प्राप्त/अत्यकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त (केवल आयु में छूट हेतु):-

आपात कमीशन प्राप्त/अत्यकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लवित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अत्यकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में रथाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

8. वैवाहिक प्रास्थिति :— ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पत्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

9. शैक्षिक अर्हताएँ :— आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित स्तम्भ में अवश्य करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएँ संगत सेवा नियमाली के अनुसार निम्नवत् हैं:-

ग्रुप-ए लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले पद		
क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="

<p>विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) एम0एस0सी० (कृषि) वनस्पति विज्ञान / M.Sc. (Agri) Agriculture Botany. 2) एम0एस0सी० (कृषि) अनुवंशकीय एवं पादप प्रजनन / M.Sc. (Agri) Genetics and Plant Breeding. 3) एम0एस0सी० वन विज्ञान / M.Sc. (Forestry), 4) एम0एस0सी० (कृषि) फसल दैहिकी / M.Sc. (Agri.) Crop Physiology, (3) कृषि शस्य शाखा-में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:- <ol style="list-style-type: none"> 1) एम0एस0सी० (कृषि) शस्य विज्ञान / M.Sc. (Agri) Agronomy (4) कृषि रक्षा शाखा-में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान पौध रोग विज्ञान में विशेषता के साथ एम0एस0सी० (वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम0एस0सी० (प्राणि विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान्यता हेतु निम्न को माना गया है:- <ol style="list-style-type: none"> 1) एम0एस0सी० (कृषि) (पादप संरक्षण / पादप रोग) / M.Sc. (Agri) Plant Protection/Plant Pathology, 2) एम0एस0सी० (कृषि) (कीट विज्ञान) / M.Sc. (Agri) Entomology, <p>3. उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-1309 / 67-कृषिअ-18-400(36) / 14 टी0सी०, दिनांक 12 जून, 2018 में उल्लिखित उपाधियों को सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरांत बी0एस0सी० (कृषि) के समकक्ष माना जा चुका है, जिसमें कीट संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया है।</p> <p>4. उपरोक्त प्रस्तर-3 में अंकित कृषि रसायन शाखा, कृषि वनस्पति शाखा, कृषि रक्षा शाखाओं को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-'ख' श्रेणी-2 के सीधी भर्ती में चयन की कार्यवाही एम0एस0सी० (कृषि) के समकक्ष अर्ह माना जाता है।</p>
--

ग्रुप-'बी'

केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले पद

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (शस्य शाखा)	अनिवार्य—किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (वनस्पति शाखा)	अनिवार्य—किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननीय की या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (पौध संरक्षण शाखा)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस.सी० वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस.सी० सी. जन्तु विज्ञान, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (रसायन शाखा)	अनिवार्य—किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मूदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
5.	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (विकास शाखा)	अनिवार्य—किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। अधिमानी:- एक-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या दो-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

पदों की संगत सेवा नियमावलीयाँ

- उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह-'ख' सेवा नियमावली, 1993।
- उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह-'ख' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018।
- उत्तर प्रदेश समूह-'ख' सेवा नियमावली, 1995।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019।

10. आयु सीमा:- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1984 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र० के अनुसूचित जाति, उ0प्र० के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उपर. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र० वैसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणीतर कर्मचारियों तथा उ0प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ.प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

11. समिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कठिपय सुचनायें:-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में समिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग रु 225/- तथा उ0प्र० के अनुसूचित जाति/उ0प्र० के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग रु 105/- मिर्दारित है। क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र० के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य

परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र० के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा

(18) OMR Answer Sheet दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।

(19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनहृत माने जायेंगे।

(21) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(22) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1—अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

2—आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रणाली में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3—आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुम्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

4—आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जाये कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अहंकार हैं। पद के लिए वांछित सभी अहंकार आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6—किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपाराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अध्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अध्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7—यदि अभ्यर्थी को ऑन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8—प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर, प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-3 पर, प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पाद्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-4 तथा परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with

successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

: - NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

• All Notification/Advertisements

: - ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

• Candidate Registration

• Fee Deposition /Reconciliation

• Submit Application Form

• Modify Submitted Application

• Candidate Dashboard (OTR Based)

: - CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

• Double Verification mode

• View Application Status

• Download Admit Card

• Print Duplicate Registration Slip

• Print Detailed Application Form

• List of Applications Having ANY Objections

• View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट – 1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत हैं:-

(1) लखनऊ एवं (2) प्रयागराज

परिशिष्ट – 2

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप—पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील

नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के लिए ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील

नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक

<p>ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला</p> <p>राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। <p>2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्राणित फोटोग्राफ</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।</p> </div> </div>	<p>(B) The diagnosis in his/her case is.....</p> <p>(A) he/she has% (in figure)percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).</p> <p>2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nature of Document</th> <th style="text-align: center;">Date of Issue</th> <th style="text-align: center;">Details of authority Issuing certificate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Signature and seal of the Medical Authority.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">(Dr.)</td> <td style="width: 33%;">(Dr.)</td> <td style="width: 33%;">(Dr.)</td> </tr> <tr> <td>Member Medical Board with seal</td> <td>Member Medical Board with seal</td> <td>Chairperson Medical Board with seal</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</p> </div>	Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate				(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)	Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate											
(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)											
Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal											
<p>(प्रपत्र- II) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र</p> <p>मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ल्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं। 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। <p>अथवा</p> <p>कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। <p>मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।</p> <p>नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।</p> <p>स्थान :- आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।</p> <p>दिनांक :-</p>													
<p>उपरोक्ते दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)</p> <p>Form-II Certificate of Disability</p> <p>(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)</p> <p>(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> </div>													
<p>Certificate No. Date: This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:</p> <p>(A) he/she is a case of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● locomotor disability ● dwarfism ● blindness <p>(Please tick as applicable)</p> <p>(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:</p> <p>In figures percent. In words percent</p> <p>2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.</p>													

<p>3. Reassessment of disability is:-</p> <p>(i) not necessary, or (ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)</p> <p>@ -e.g. Left/right/both arms/legs # -e.g. Single eye £ -e.g. Left/Right/both ears</p> <p>4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-</p>					<p>£ e.g. Left/Right/both ears</p> <p>4. Signature and seal of the Medical Authority.</p>						
					<table border="1"> <tr> <th>Name and Seal of Member</th> <th>Name and Seal of Member</th> <th>Name and Seal of the Chairperson</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td> <td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td> </tr> </table>	Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson									
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)									
					<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।</p> <p style="text-align: center;">प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पीढ़ी (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी सील</p>						
<p>Form-IV Certificate of Disability (In cases of other than those mentioned in Forms II and III) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)</p> <p>Certificate No. Date:</p> <p>This is to certify that we have carefully examined</p> <p>Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/female..... Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street..... Post Office..... District..... State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that :</p> <p>(A) he/she is a case of</p> <p>Multiple Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:</p>					<p>Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p>						
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)							
1.	Locomotor disability	@									
2.	Muscular Dystrophy										
3.	Leprosy Cured										
4.	Cerebral Palsy										
5.	Acid attack Victim										
6.	Low Vision	#									
7.	Deaf	£									
8.	Hard of Hearing	£									
9.	Speech and Language disability										
10.	Intellectual Disability										
11.	Specific Learning Disability										
12.	Autism Spectrum Disorder										
13.	Mental illness										
14.	Chronic Neurological Conditions										
15.	Multiple sclerosis										
16.	Parkinson's disease										
17.	Haemophilia										
18.	Thalassemia										
19.	Sickle Cell disease										

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.
or
(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye/both eyes

<p>नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप – 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (रूपा पता) में स्कूल में कक्ष के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर</p> <p>नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक/ या अतिरिक्त/ संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p>	<p>पद संस्था का नाम मुहर</p> <p>7. अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम 8. सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता 9. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन—सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी। 10. प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक)—अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित 11. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण</p> <p style="text-align: center;">कृषि विषय</p> <p>फसल वितरण एवं उत्पादन के पर्यावरणीय कारक, फसल वृद्धि के कारक के रूप में जलवायुवीय घटक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सभ्य—जलवायुवीय क्षेत्रों में फसल क्रम, टिकाऊ फसल उत्पादन के सम्बन्ध में बहुफसली, बहुखण्डीय, रिले एवं सहफसली खेती का महत्व एवं संकल्पना। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी में उगायी जाने वाली मुख्य धान्य, दलहनी, तिलहनी, रेशे, शर्करा एवं नकदी फसलों के उत्पादन की सघन पद्धतियाँ। कृषि—वानिकी एवं सामाजिक—वानिकी के संदर्भ में वनीय पौधों के विभिन्न प्रकार, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्षेत्र एवं प्रवर्धन। खरपतवार, उनकी विशेषताएं, विस्तार, विभिन्न फसलों के साथ संगति, उनका गुणन एवं नियन्त्रण। आधुनिक संकल्पना के साथ भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा के खनिज और जैविक अवयवों एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्व। भारत में समस्य</p>
---	---

सहित विज्ञान, कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकी की सामान्य समझ सम्मिलित होगी।

समसामयिक घटनाएँ: खेलों सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं।

भारतीय इतिहास एवं राज्य व्यवस्था : राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन सहित आधुनिक भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ।

भारतीय संविधान, पंचायती राज सहित राजनीतिक व्यवस्था और सार्वजनिक नीति का सामान्य ज्ञान।

भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था : भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल (विषय की सामान्य समझ अपेक्षित है)।

भारत की सामान्य आर्थिक समस्यायें और उनके समाधान। भारत के बजट सहित इसकी आर्थिक नीतियों की मूलभूत विशेषताएं।

द्वितीय प्रश्नपत्र

प्रथम खण्ड

सामान्य हिन्दी

अधिकतम अंक—25

1. अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।
2. अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तदभव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द—रूप, सन्धि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।
3. वाक्यों का हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

हिन्दी निबन्ध

द्वितीय खण्ड

अधिकतम अंक—25

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगे:—

1. साहित्य, संस्कृति
2. राष्ट्रीय विकास योजनायें / क्रियान्वयन
3. राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें / निदान
4. विज्ञान तथा पर्यावरण
5. प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6. कृषि, उद्योग एवं व्यापार।

तृतीय प्रश्नपत्र

वैकल्पिक विषय—अधिकतम अंक—250

पाठ्यक्रम

(1) जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी—2 (ग्रेड—1) — कृषि एवं उद्यान विज्ञान

- उत्तर प्रदेश एवं भारत की शस्य जलवायीय क्षेत्र, कृषि मौसम विज्ञान का तात्पर्य एवं क्षेत्र, वायुमण्डलीय मौसम के परिवर्तनीय घटक, भूमण्डलीय उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिंग), जलवायीय परिवर्तन के कारण एवं कृषि तथा औद्योगिक फसलों पर उसका प्रभाव। मौसम प्रतिकूलता—सूखा, बाढ़, पाला, गर्म लहर एवं शीतलहर। उत्तर प्रदेश एवं भारत के शस्य जलवायीक क्षेत्र।
- एकीकृत कृषि प्रणाली—क्षेत्र, महत्व, संकल्पना, सिद्धान्त एवं घटक। फसल प्रणाली एवं फसल क्रम बहुफसली खेती, सहफसली खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक खेती—संकल्पना, महत्व एवं वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता।
- खरपतवार—विशेषताएं, खरपतवार बॉयोलॉजी, खरपतवारों का प्रसार, खरपतवार—फसल सहसम्बन्ध, खरपतवारों का गुणन, खरपतवार नियंत्रण एवं प्रबन्धन। फसल—खरपतवार प्रतियोगिता, एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन, शाकनाशी—वर्गीकरण, नियमन, प्रयोग करने की विधियाँ।
- शुष्क कृषि एवं वर्षा आधारित कृषि : विशेषताएँ, भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएँ और संभावनाएँ, जलागम प्रबन्धन की अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धान्त और घटक।
- सिंचाई एवं जलप्रबन्धन, सिंचाई समय सारिणी का निर्धारण, सिंचाई की विधियाँ, जल निकास, अपवाह, सिंचाई जल का क्षरण, जल उपयोग दक्षता।
- पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मानदंड और उनके कार्य, कमी एवं मृदा में पोषक तत्वों के रूप। मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता—परिभाषा, महत्व एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक।
- अम्लीय, चूनायुक्त एवं लवण प्रभावित मृदाएँ : उनकी विशेषताएँ, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सुधार।
- खाद एवं उर्वरक : प्रकार, प्रयोग करने की विधि, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, संतुलित पोषण, जैव उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट एवं हरी खाद—महत्व एवं बनाने की विधि।
- उत्तर प्रदेश एवं भारत में खरीफ, रबी एवं जायद में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, मिलेट्स, दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली, चारा फसलें, शर्करा फसलें एवं नकदी फसलों की फसल उत्पादन की पैकेज एवं प्रैविट्सेस।

(2) प्रधानाचार्य—राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र / खाद्य—प्रसंस्करण अधिकारी, श्रेणी—2 — खाद्य विज्ञान

• औद्योगिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन।

- जैम, जेली, मार्मलेड, कैन्डी, अचार, केचप, सॉस, स्कैवैश एवं कार्डियल बनाने की विधि।
- फल संभलाव, छटनी, पैकेजिंग, फलों एवं सब्जियों का भंडारण विधियाँ गुण एवं दोष सहित।
- डिब्बाबंदी, पास्तुरीकरण, शून्य—ऊर्जा, शीतकक्ष, हरितविहीनता, परिपक्वता मानक, पूर्व शीतलन, नियंत्रित पर्यावरण संग्रह की संकल्पना।
- खाद्य—नुकसान—नुकसानकारकों के संदर्भ में खाद्य वर्गीकरण।
- औद्योगिक एवं निर्यात क्षमता, कृषि निर्यात क्षेत्र तथा औद्योगिक समर्थन।
- महत्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों में उपस्थिति विटामिन।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006।

(3) **उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी—2 एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप—ए की विभिन्न शाखाओं हेतु:-**

1(i) शस्य शाखा

शस्य विज्ञान

- कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, वायुमण्डलीय मौसम के घटक, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायी परिवर्तन के कारण और कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम सम्बन्धी खतरे, सूखा, बाढ़, पाला, गर्म लहर एवं शीतलहर। उत्तर प्रदेश एवं भारत के शस्य जलवायीक क्षेत्र।
- फसल उत्पादन के वैज्ञानिक सिद्धान्त, उत्पादन फलन एवं कारक प्रतिफल, मृदा—पादप में सम्बन्ध की संकल्पना, पौध वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, भूपरिष्करण की आधुनिक संकल्पना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, परिशुद्ध कृषि—संकल्पना एवं तकनीकी।
- टिकाऊ कृषि—समस्याएँ और कृषि पर इसका प्रभाव, संरक्षण कृषि, कृषि की रणनीतियाँ, संसाधन उपयोग दक्षता और प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन।
- कृषि प्रणाली—क्षेत्र, महत्व, संकल्पना, सिद्धान्त एवं घटक। फसल प्रणाली एवं फसल क्रम बहुफसली खेती, सहफसली खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक खेती—संकल्पना, महत्व एवं वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिकता।
- खरपतवार—विशेषताएँ, खरपतवार बॉयोलॉजी, खरपतवारों का प्रसार, खरपतवार—फसल सहसम्बन्ध, खरपतवारों का गुणन, खरपतवार नियंत्रण एवं प्रबन्धन। फसल—खरपतवार प्रतियोगिता, एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन, शाकनाशी—वर्गीकरण, नियमन, प्रयोग करने की विधियाँ।
- शुष्क कृषि एवं वर्षा आधारित कृषि : विशेषताएँ, भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएँ और संभावनाएँ, जलागम प्रबन्धन की अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धान्त और घटक।
- सिंचाई एवं जलप्रबन्धन, सिंचाई समय सारिणी का निर्धारण, सिंचाई की विधियाँ, जल निकास, अपवाह, सिंचाई जल का क्षरण, जल उपयोग दक्षता।
- पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मानदंड और उनके कार्य, कमी एवं मृदा में पोषक तत्वों के रूप। मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता—परिभाषा, महत्व एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक।
- अम्लीय, चूनायुक्त एवं लवण प्रभावित मृदाएँ : उनकी विशेषताएँ, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सुधार।
- खाद एवं उर्वरक : प्रकार, प्रयोग करने की विधि, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना, संतुलित पोषण, जैव उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट एवं हरी खाद—महत्व एवं बनाने की विधि।
- उत्तर प्रदेश एवं भारत में खरीफ, रबी एवं जायद में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें, मिलेट्स, दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली, चारा फसलें, शर्करा फसलें एवं नकदी फसलों की फसल उत्पादन की पैकेज एवं प्रैविट्सेस।

1(ii) वनस्पति शाखा : कृषि वनस्पति विज्ञान/आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन

- आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के ऐतिहासिक संदर्भ। मैडल के वंशागति के नियम, बहु विकल्पी, जीन अन्योनकरण और बहु कारक परिकल्पना। सहलगता, जीन विनियम एवं जीन मानचित्रण। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन—समसूत्री एवं अद्वैसूत्री विभाजन।
- गुणसूत्र : संरचना, कार्य और विशिष्ट प्रकार। गुणसूत्रों में संरचनात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन एवं उनके अनुप्रयोग।
- आनुवंशिक द्रव्य की प्रकृति, संरचना एवं प्रतिकृति। प्रोटीन का जैवसंश्लेषण तथा प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक जीवों में जीन विनियमन। आनुवंशिक कोड और उत्परिवर्तन।
- जनन विधियाँ, पौध उद्भव केन्द्र और जननद्रव्य का संरक्षण। विभिन्नता—कारण, प्रकार एवं महत्व। वंशागतित्व एवं आनुवंशिक प्रगति।

• स्व-और पर-परागति फसलों में प्रजनन की विधियाँ। संकर ओज एवं इसके आनुवंशिक आधार। नर बन्ध्यता-प्रकार और वाणिज्यिक समुपयोग। जैविक तथा अजैविक प्रतिबिल रोधिता के लिए प्रजनन।

• जैव प्रौद्योगिकी एवं कृषि में इसका महत्व। ऊतक संवर्धन एवं इसके प्रकार। डी.एन.ए. चिन्हक-आर.एफ.एल.पी., आर.ए.पी.डी., ए.एफ.एल.पी., एस.एस.आर. और एस.एन.पी। चिन्हक सहायतित चयन तथा पारजीनी फसलों का विकास।

• गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के सिद्धान्त। बीजों की श्रेणियाँ, बीज परीक्षण, बीज प्रमाणीकरण एवं बीज अधिनियम। धान्य, दलहनी और तिलहनी फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की तकनीक। प्रजाति विमोचन और डी.ग्रू.एस. परीक्षण।

1(iii) कृषि रक्षा शाखा तथा पौध संरक्षण शाखा :

फसल सुरक्षा

• भारत में पौध संरक्षण का इतिहास एवं महत्व।

• उत्तर प्रदेश में पौध संरक्षण संगठन की स्थापना।

• नाशीजीव प्रबन्धन के सिद्धान्त क्रमशः वैधानिक शास्य, भौतिक, यान्त्रिक, जैविक, रसायन एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन।

• पौध संरक्षण यंत्रों का देखभाल एवं रखरखाव।

• अनाजों एवं दलहनी फसलों के भण्डारण कीट।

• प्रमुख फसलों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन, धान्य (धान, गेहूँ, जौ एवं मक्का), मोटे अनाज (ज्वार एवं बाजरा), तिलहनी फसल (सरसों, तिल एवं सूर्यमुखी), दलहनी फसल (अरहर, मटर, चना, मसूर, उर्द एवं मूंग), गन्ना तथा कपास।

• पौध संरक्षण का सामान्य सिद्धान्त एवं कृषि में इसका महत्व।

• पौध संक्रमण के कारक एवं इनके पृथक्कीरण की विधियाँ।

• पौध रोग प्रबन्धन की रासायनिक विधियाँ, रोग प्रतिरोधक विधियाँ, बीजोपचार छिड़काव, धूलिमाज्जन, जैवकवकनाशी एवं विभिन्न प्रतिजैविकों की कार्य विधि।

• उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में अनाज, दलहनी, तिलहनी, फलों एवं सब्जियों के प्रमुख रोग के लक्षण, हेतुकी, संचरण एवं प्रबन्धन।

• पौधों में सूत्रकृमियों से लगने वाले रोग एवं उनका प्रबन्धन।

• गैर कीटनाशी जीव एवं उनक प्रबंधन।

• फलों एवं सब्जियों के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका प्रबन्धन।

1(iv) रसायन शाखा :

मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन

• मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं सर्वेक्षण—मृदा परिच्छेदिका एवं संस्तर। मृदा निर्माण के कारक एवं प्रक्रम। मृदा निर्माण के चट्टान एवं खनिज। चट्टानों का अपक्षय। मृदा टैक्सोनामी की मुख्य विशेषताएं। निदानसूचक संस्तर, मृदा तापक्रम एवं नमी व्यवस्था के प्रकार। मृदा टैक्सोनामी के विभिन्न गणों का विवरण। भारतवर्ष में पायी जाने वाली विभिन्न मृदाओं की विशेषतायें एवं उनका वितरण। मृदा सर्वेक्षण की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार एवं भूमि उपयोगिता वर्गीकरण।

• मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण। मृदा की खनिज एवं जैविक भाग एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्व। आवश्यक पादप तत्व—मुख्य, सूक्ष्म एवं मृदा में अन्य लाभकारी तत्व। आवश्यक पोषक तत्वों के कमी के लक्षण एवं उनका कार्य। तत्व उपलब्धता के स्रोत एवं प्रकार। मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन। मृदा में नत्रजन की हानि एवं फास्फोरस तथा पोटाश स्थिरीकरण। अम्लीय, लवणीय एवं जलमग्न मृदाओं के रासायनिक गुण एवं उनके सुधार की विधियाँ।

• मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान—सहजीवी एवं असहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण। पोषक तत्वों का सूक्ष्मजीवी रूपांतरण एवं मृदा कार्बनिक पदार्थ का जैव अवक्रमण। जैव उर्वरक और फसल उत्पादन में इसकी उपयोगिता।

• मृदा परीक्षण के उद्देश्य एवं संकल्पना। मृदा परीक्षण के लिए मृदा नमूना एकत्र करने की विधियाँ। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली सामान्य मृदा परीक्षण विधियाँ। मृदा में पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण सीमा। भारतवर्ष की मृदाओं में पोषक तत्वों का स्तर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा फसल उत्पादन बढ़ाने में इनका योगदान।

• कृषि से सम्बन्धित मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या। प्रदूषणों की प्रकृति एवं स्रोत, उनका फसलों तथा मृदाओं पर प्रभाव। मृदा अपशिष्ट निपटान का एक स्रोत। कीटनाशक—उनका वर्गीकरण एवं मृदा में उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म जीवों पर उनका प्रभाव। जहरीले तत्व—उनके स्रोत, मृदा में उनकी प्रकृति तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। पोषक तत्वों एवं

कीटनाशकों के निकालन से जल संसाधनों का प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस—कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रोजन आक्साइड। प्रदूषित मृदा एवं जल संसाधनों के सुधार की विधियाँ।

• मृदा कटाव—जल क्षरण की परिभाषा, प्रक्रिया, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ—शास्य, अभियान्त्रिकी एवं वानिकी विधियाँ। वायुक्षरण रोकथाम विधियाँ—सतही एवं वानिकी (वायुरोधक एवं रक्षापट्टी)। समस्याग्रस्त क्षेत्रों—बीहड़ एवं खड़, जलमग्न क्षेत्र, लवणीय मृदा, पहाड़ी ढलान, भूखलन, बहाव—कटाव नियंत्रण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण एवं अन्य बंजर/बेकार भूमियों में वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने की भूमिसंरक्षण विधियाँ।

• जलागम प्रबन्धन—संकल्पना, सिद्धान्त, उद्देश्य, क्रमवार कार्य एवं घटक। जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाएं एवं जैव औद्योगिक जलागम प्रबन्धन की संकल्पना।

(2) कृषि विकास शाखा :

कृषि विकास

• कृषि मौसम विज्ञान का महत्व, ग्लोबल वार्मिंग (वैशिक तापन), जलवायु परिवर्तन के कारण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम प्रतिकूलता—सूखा, बाढ़ एवं पाला, उत्तर प्रदेश एवं भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र।

• एकीकृत कृषि प्रणाली—क्षेत्र, महत्व, संकल्पना, फसल पद्धति एवं फसल क्रम, सहफसली एवं बहुफसली खेती, जैविक खेती, केचुएं की खाद का उत्पादन, जैव उर्वरक, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड।

• सतह कृषि—समस्यायें तथा इसका कृषि पर प्रभाव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना (आई.एन.एम.), एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन (आई.पी.एम.), एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन (आई.डब्ल्यू.एम.), जलागम प्रबन्धन—संकल्पना के उद्देश्य एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन।

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, भारत में विभिन्न कृषि क्रान्तियाँ, बीज के प्रकार, बीज उत्पादन, औषधीय एवं मसालों की खेती, कुकुकुट पालन, सूकर पालन, मत्स्य पालन, पौधशाला प्रबन्धन, कस्टम हायरिंग सेवाएं, खाद्यान्न प्रसंस्करण, जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने में कृषि वानिकी का योगदान।

• स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात् कृषि प्रसार का प्रयास, कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्र, सूचना तकनीकी एवं संचार का योगदान। ग्रामीण विकास कार्यक्रम—स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.ए.पी.), राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि अभियान (एन.एम.एस.ए.), कृषि प्रक्षेत्र पर जल प्रबन्धन (ओ.एफ.डब्ल्यू.एम.), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), प्रति बूँद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.के.एस.एन.), राष्ट्रीय कृषि मण्डी योजना (ई—नाम), किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), गैर—सरकारी संस्थान (एन.जी.ओ.), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), किसान क्रेडिट कॉर्ड (के.सी.सी.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)।

• पैकेज एवं प्रैविटिसेस :—

- (i) धान्य फसलें:— धान, गेहूँ, मक्का एवं जौ
- (ii) मोटे अनाज की फसलें:— ज्वार, बाजरा, रागी, सॉवा, कंगनी, कोदो एवं कुटकी
- (iii) दलहनी फसलें:— अरहर, चना, मसूर, मटर, उर्द एवं मूंग
- (iv) तिलहनी फसलें:— सरसों एवं राई, अलसी, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी
- (v) नकदी फसलें:— गन्ना एवं आलू
- (vi) सब्जी की फसलें:— टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, फूलगोभी एवं पत्ता गोभी
- (vii) फल वाली फसलें:— आम, अमरुद, आँवला, केला एवं पपीता
- (viii) फूल की फसलें:— ग्लैडिओलस, गेंदा एवं गुलाब